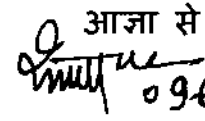


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./ 76 /2020 दिनांक : 09.06.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/10/ 2020 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा श्रीमती अलका बंसल (RJ0303), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, बून्दी को दिनांक 20.01.2020 से 21.03.2020 तक 62 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.01.2020 एवं 22.03.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 20.01.2020 से 22.01.2020 का 03 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है ।

आज्ञा से
 09.06.2020

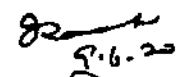
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :-स्था.बी.२(4)/06/2000/ 2450

दिनांक 09.06.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बून्दी ।
3. श्रीमती अलका बंसल (RJ0303), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, बून्दी को उनके पत्रांक 13 दिनांक 02.06.2020 के सन्दर्भ में ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005 क्रम-01, बून्दी ।
5. श्री अरूण जैन (RJ1031), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, बून्दी ।
6. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-02, बून्दी ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

 09.06.2020
सहायक रजिस्ट्रार